

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रवती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

कमांक/२५८०/ ४४७ /आउशि/ समन्वय/ 2019
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/ 05/ 2019

1. कुल सचिव,
समर्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समर्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :-

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 अटल
नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समर्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)
अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/ 05/ 2019

पृष्ठ कमांक/२५८०/ ४४७ /आउशि/ समन्वय/ 2019
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर/
अंधिकापुर/ दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

गढानदी भवन, अटल नगर

जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019
प्रति,

आयुवत्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।


कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(अविन्द्र मंडेकर)
अवर सचिव

पृष्ठमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018
प्रतिलिपि:-

- विशेष राहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शाराकीय/अशाराकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए गार्डर्शक सिद्धांत

सात्र 2019-20

1. प्रयुक्ति :-

1.1 ये नारदशेषक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के रामी शाराकीय/अशाराकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ संलग्नित करते हुए लागू होने वाला समरत प्राचार्य इनका पालन रुनिश्वित करेंगे।

1.2 दूसरे के नियमों को शाराकीय तथा अशाराकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना होगा। “प्रवेश तो आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सोमेरस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सोमेरस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समरत प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु वोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व रास्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानान्तरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/वोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो गाय होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश याहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने वाले सब के दोसरे प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक “क” ने निर्दी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद उसके पालक को स्थानान्तरण स्थान “ब” में हो गया। इसस्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना वाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक “ब” ने स्थान (ब) में उसके उपर्युक्त कार्यक्रमों को नियमों की



महाविद्यालय में प्रवेश नहीं हिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किन्तु महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। अतः जब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ए) को प्रवेश की दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्गूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
प्रत्येक स्वास्थ के अंतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्गूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्गूल्यांकन के पश्चात् गुणानुक्रम में आगे पर प्रवेश की पात्रता होती। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्गूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में स्पष्टव्य साधनों तथा कक्षाएँ में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टॉफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (रीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए रथान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

- 3.2 विविध रात्रिक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित नापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 रोकशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सामग्र्द्ध विश्वविद्यालय/रवाशारी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जगा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की रूचना देते हुए प्रवेश हेतु कांगड़त विद्यार्थियों की अईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक राहित, सूचना पटल पर लगाई जायगी।

- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जगा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जगा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र "प्रवेश दिया गया" की ओहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।



- 4.3 नियामित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की रोल लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 धोषित प्रवेश रूपी की शुल्क जमा करने की आविष्टि तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी छात्राओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलाप शुल्क रूपय 100/- अरासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वरुला जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश का अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (बुफ्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र को जाने की रिक्ति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आईआर दर्ता किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का अनुकरान्क एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त दोनों की रिक्तियों में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी रो बचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 मेडिसिनलय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैमेंग/अनुशासनीयता/तोड़फोड़ आदि में संलेप है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाके में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 उत्तीर्णगढ़ शारान, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतंद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक द्वारा की छात्राओं को शैक्षणिक रात्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।
- 5 प्रवेश की पात्रता:-
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
- (i) उत्तीर्णगढ़ के मूल/स्थायी, उत्तीर्णगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवारी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, सञ्चारीयकृत वैकों तथा भारत सरकार द्वारा रांचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन उत्तीर्णगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काशीर के विरथापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वोड़े एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ii) सांख्य विश्वविद्यालय से या सांख्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (iii) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।



5.2 स्नातक रत्नर नियमित प्रवेश :-

- (i) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। इन्हुंने वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश कर्त्ता भित्ति नहीं दी गयी। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ii) स्नातक रत्नर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की प्रवेश द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय सार पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर रत्नर नियमित प्रवेश :-

- (i) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों वाले कमश एम.कॉम./एग.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एग.ए.-पूर्व/प्रथम रोमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एग.एस.-सी./एग.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ii) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम रोमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। रोमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले रोमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (iii) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :
 1. स्नातकोत्तर प्रथम रोमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय रोमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले रोमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (i) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ii) निम्ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (iii) एल.एल.वी. प्रथम रोमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम रोमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश एल.एल.वी. द्वितीय रोमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय रोमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम रोमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अननुसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति /ओ.वी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को



MCIT-NCIE BAR COUNCIL OF INDIA MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमति
प्रदान करने में प्रवेश / राजकालीन परियोग सम्बन्धी राज्यों के प्रकार का विवरण

- ८३ समकक्ष परीक्षा
- ८४ भवत वोडे आप सोकलरे एन्ड्रुक्शन (सी.वी.एस.ई). इंडियन कासिल फर राकेंडरी एन्ड्रुक्शन (आई.सी.एस.ई) वथा अन्य सज्जों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य वोडे की द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- ८५ राज्यान्वयन भारत में रिति विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसासिएशन ऑफ न्यूरिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी राज्यान्वयन परीक्षाएं उत्तीर्णगढ़ राज्य के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संवालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई विद्य्ली के निदेशानुसार उत्तीर्णगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक रास्थानिकों को उत्तीर्णगढ़ राज्य में अध्ययन कन्द्र/ऑफिस कम्पस लाइसेंस अवधि-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी रास्थानिकों से डिग्री/डिल्डोंगा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- ८६ सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण रास्थानिकों की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अधिकार मान्यता नियन्त्रित विश्वविद्यालय या शिक्षण रास्थानिकों, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- ८७ २०१२ में प्राप्त किए गए एन्वीईक्यूफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अन्तर्गत उत्तीर्ण आयोदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रास्तक रहने के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य रामान्य लिखों को दुनिया में सम्पूर्ण प्रायामेकता प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्विशासकीय पत्र द्वारा
१-५२/२०१३(सी.वी./एनएसक्यूएफ) अप्रैल, २०१४ के अनुसार

२०१० में आपको ज्ञात हो आशेंक कार्य विभाग, दिल्ली विज्ञान द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी संकाय (एनएसक्यूएफ) में पानव रास्थानिक विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीक अधिकार संस्थान (एनवीईक्यूफ) में सूचबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण कार्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह १० रुपये तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रुपय ५ से रुपय १० तक के प्रमाण-पत्र उपयोग किया जा सकता है। रुपय ५ से रुपय १० तक के प्रमाण-पत्र रक्की शिक्षा के द्वारा से सम्बद्ध होते हैं। वर्ष २०१२ में प्राप्त किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसारण में कुछ रक्की शिक्षा के द्वारा से सम्बद्ध होने वाली प्रतिवर्षी प्रत्यावर्त लिखे गये और एनवीईक्यूएफ के अन्तर्गत छात्रों को



७. विश्वविद्यालय सन् २०१३-१०/१२ मित्रों को तीन २०१४ तक राजत्र कर पायें। मात्र राजसभा विभाग में बल्कि, गवर्नर राजकारन ने आशका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय सनातक पूर्ण किरी भी पाठ्यक्रम में वार्षिक लेने के इच्छुक हैं वहाँ जिनके उपरांत राज एवं गवर्नरामक विषय वे अलगाकारी स्थित में होंगे। अतः मेरा आपसे अप्रैल हेतु मेरी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किरी भी सनातक पूर्ण पाठ्यक्रमों में वार्षिकों के लिए प्रयास किया जा रहे हों तो उस यात्रा एवं विषयों को अन्य राजसभा विषयों की तुलना में राष्ट्रपुत्र्य प्राथमिकता प्रदान की जाय, ताकि उन छात्रों को विश्वविद्यालय के लिए सुअवारार मिल सकें।

७. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

७.१ इनके रूपांतरक वी.ए./वी.कॉम./वी.एस.-सी./वी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से इत्तीरामद के किरी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता ह किन्तु राष्ट्रपुत्र विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में विवरणीय विषयों परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाय। अपरांत ही लो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

७.२ इत्तीरामद के बाहर रिथत विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से सनातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/रवशासी महाविद्यालयों से सनातकोत्तर पूर्ण की परीक्षा या प्रथम द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि सनातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा राष्ट्रपुत्र विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

७.३ सभ्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की शूली/यत्तर जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निररत करते हुए उसे प्रदर्श के किरी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बंधित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रत्युत वर्तावेजों का प्रगाणीकरण संबंधित घोष/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य हो।

७.४ निम्न एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यार्थी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को ३० नवंबर तक, नियांरित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य की अनुगति प्राप्तार्थी द्वारा दी जा सकती है।

८. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना-अनिवार्य होगा :-



८.२ वथी सनातक रत्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पुरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त अन्तिम आवेदकों को जगती कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। अप्रैल तक राज्य के विश्वविद्यालय/सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पुरक/एटी-कैम्पस आवेदन के

- 83 गिरी राजके प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत मूले में कठन काले या प्राचं आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 84 उपराक्ष कीड़का 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 85 पुरक परीक्षा में अनुच्छीण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश से निरसा भी जायेगा। उत्तीर्ण छोड़े पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य जायेगा।
- 9 प्रवेश हेतु अहंताएः—
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी किसी छात्र ने पूर्व रात्रि में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसे आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहै नहीं गाना जायेगा। उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र या शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियन्त्रित प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.2 जिनके विश्वविद्यालय में बालान प्रस्तुत किया गया हो या व्याख्यालय में अपराधिक प्रकरण लिए रखे हों, परीक्षा में या पूर्व रात्रि में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दूसरीवार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/वेतावनी के बाद भी रुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्रावार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में लोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्रावार्य अधिकृत है। प्रावार्य इस हेतु समिति गठित कर जीव करवायें एवं जीव रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीरागढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा—
- (i) राजके प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं राजकोत्तर पूर्वद्वारा/प्रथम सोमेरटर में 27 वर्ष से ऊपरीक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की मण्डा आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिल्लीगढ़ एवं राजकोत्तर डिल्लीगढ़ में प्रवेश हेतु निर्धारित आधिकरण आयु सीमा रामान्तर 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
 - (ii) आयु सीमा का बदल किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मन्त्रालय/कार्यालय की उनके द्वारा नियमित संरियाओं द्वारा प्रायोगित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अवैध, अवैयन करने वाले छात्रों अथवा विदेश से अवैयन के लिए विदेशी मुद्रा में पैमेट छोट पर विविध संकाय में प्रवेश हेतु अधिकरण आयु सीमा का प्रावधान रामात् किया जाता है।



- (iii) इसके मुख्यमत्त्व के प्रमाण हेतु स्नातक प्रयोग जर्मी में 25 वीं अंक अनुसार
 (ii) प्रयोग नियम में 27 वीं अंक अनुसार आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की मानवाधिकारी।
- (4) नियम संकाय को छोड़कर अनुरागीत जापि/अनुसूचित जनजाति/मध्यांशु का नियमिता आवेदकों के लिए आयु रीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निश्चित अमर्यादी आवेदकों के लिए आयु रीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 भूमिका वाले शासकीय/असारांशीय सामाजिक कार्यकारी को उराका दोनों कार्यों में अवधि लगायें, जबले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दोनों कार्यकार्य लप्ताते लम्बन वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता कार्यपालि द्वारा वह प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.6 भूमिका वाले शासकीय सामाजिक कार्यकारी को किसी अन्य संकायों के रूप मानवाधिकारों में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु युणानुकम का निर्धारण :-
- 10.1 अपलब्द स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियानुसार युणानुकम से किया जायेगा।
 (क) सामाजिक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताक एवं अधिक पेश हो, तो अधिगार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर लगा।
 (ख) नियमित सामाजिक प्रथम वर्ष में सामवद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग युणानुकम सूची तैयार की जावगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 नियम सामाजिक/सामाजिकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा के द्वारा भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाधारी उत्तीर्ण छात्रों के कामानुसार रहेगा।
- 11.2 सामाजिक/सामाजिकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सात्र के नियमित/स्वाधारीकार्य के क्रम में होगा।
- 11.3 नियम संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एवोगेट प्राप्त कर वाले छात्रों की प्राथमिकता का आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य कम स्थावरता रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उराके निवास स्थान/ठहरील/जिलों में स्थित या आरपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर ये विश्वविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के आधारान की सुपेला होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर निवार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्रावाह्य द्वारा अपनाय/ठहरील/जिलों की रीमारी लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों की प्राथमिकता दी जाये हुए प्रवेश दिया जाये आवेदक के निवास स्थान/ठहरील/जिलों में स्थित या आरपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित जिलों/विषयों का



अध्ययन वाले दुरुप्रीत वर्ती संघ पर एवं उच्च मुण्डमुद्रा पर विवेश विषय कानून विवरण इह पर एवं गुणवृक्षता में आवे पर पूरे प्रवेश के आवृत्ति को पूरे प्रवेश में प्रयोग की जानकारी होगी।

116 परन्तु अप्रतिक्रिया भवित्वात् राज्यालयी विद्यार्थियों के लिए लापू नहीं आया, किंतु एक विषय के सामान्यकालीन परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी की अन्य विषय को सामान्यकालीन कक्षा में प्रवेश विधिवालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण-छत्तीरागढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

(i) प्रत्येक शासनीयक संघ में प्रोश में सीटों का आखात तथा किसी शासनीयक संघ में इसका वित्तीर्ण विवरण दीवार पर होगा, अर्थात् :

(a) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(b) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बारह प्रतिशत सीटे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ii) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से चाहत प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटे पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगार्मि परंतुक में निर्दिष्ट व्यवरथा के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 122 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का शासन अध्याधिकार (वटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यवितयों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्यिकों / भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संघाम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोगनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, एव्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

123 स्वतंत्रता संघाम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त व्यवितयों के आपेक्षकों के लिए 5 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे।

124 सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छनाओं के लिये आरक्षित होंगे।

125 आरक्षित व्यवितयों का कोई उमीदवार अधिक उंक पाने के कारण जनारक्षित व्यवितयों द्वारा विधायानुसार गोरेट सूखी में रखा जाता है, तो आरक्षित व्यवितयों की सीटें अपावर्त अप्राप्यावित रहेगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी रांगमं जैसे- रक्तविता संग्राम सेनानी आवेदि



- का गोपनीय संस्थान को बढ़ा दी। यह आरक्षित श्रेणी में भवि. गान्धी जाहाजी शासन की रूप-
रूप वापरता है।
- 12.6 अधिकारी वर्ग के प्रतिशत 1.2 वर्ष का आवश्यक वापरता उपलब्ध नहीं होता।
1.2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आवे. पर आरक्षित शासन की सम्मानक वापरता।
- 12.7 अमु. कर्मी विवरणपत्रों वाले व्यक्तियों को 5 प्रतिशत तक रीट दीजिए कर प्रत्येक विवरणपत्र के 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 सभी राज्य एवं शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।
- 12.9 अधिका. 12.1 में वर्णित यह आरक्षण के प्राक्षान गान्धीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्वाचन अधिकोंने लुटा।
- 12.10 वृत्तीय विवरण के व्यक्तियों को गान्धीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संघर्ष में प्रकरण क्रमांक अन्धकृष्ण (सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थात् विरुद्ध भारत शरकार एवं अन्य में पारित रिपोर्ट दिनांक 15.04.2014 की कांडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कड़ाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिभार :-
- अधिभार सब युणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता पापत्ति हेतु इसका अधिभार नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समर्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अधिभार पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
- 13.1 एन.सी.री. / एन.एस.एस. / रकाउद्रा
- (क) उत्तराखण्ड शासन को रकाउद्रा/पाइलरा/रन्जरी/सोवर्स के ऊर्थ में पठ जावे।
- (ii) एन.एस.एस. / एन.सी.री. "ए" सार्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (iii) एन.एस.एस. / एन.सी.री. "बी" सार्टिफिकेट 03 प्रतिशत
या द्वितीय सापान उत्तीर्ण रकाउद्रा
- (iv) "सी" सार्टिफिकेट या वृत्तीय सोपान उत्तीर्ण रकाउद्रा 04 प्रतिशत
- (v) राज्य सरकारी संकालनगालीन एन.सी.री. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत
में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
- (vi) नहीं विद्यार्थी के योग्यत्व दिक्षा परेल में छत्तीसगढ़ के एन.सी.री. / एन.एस.एस. कटिङ्गोन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (vii) राज्यपाल रकाउद्रा 05 प्रतिशत
- (viii) राष्ट्रप्रति रकाउद्रा 10 प्रतिशत
- (ix) राज्यीयमार्ग का विकास नियमी रूप से नियंत्रित 05 प्रतिशत



	(9) भारतीय अन्य साधों के मध्य युथ एक्सारेज प्रोग्राम में भाग लेने वाले केंद्रीय एनएसीई / एनएसएस के लिए विद्युति एवं प्रवास करने वाले केंद्र का, अन्तर्राष्ट्रीय नियम के लिये कानूनी ढंगे वाले विवारणों को	15 प्रतिशत
13.2	भारतीय अन्य साधों के मध्य युथ एक्सारेज प्रोग्राम में उत्तीर्ण विद्यार्थी का साक्षात्कार बदले में उत्तीर्ण विषय में प्रवास लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	शास्त्रीय / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवाह / रुपाकान प्रतियोगिताएँ	
	(1) एक शिक्षण संगठनालय अथवा उत्तीर्णानु उच्च शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित विद्यालय स्थान रहने अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अतर राज्यान् रह प्रतियोगिता में :-	
	(a) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त ठीम के प्रत्येक सदरय को	02 प्रतिशत
	(b) विवितगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
	(2) उपर्युक्त कोडेका 13.3 (1) में उल्लिखित विभाग / साकालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय राज्य रहने अथवा केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोगित प्रतियोगिता में अथवा संसारीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित के प्रतियोगिता में :-	
	(3) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त ठीम के प्रत्येक सदस्य का	06 प्रतिशत
	(4) विवितगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
	(5) संगम / धोन वन प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
	(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसारीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-	
	(a) विवितगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को	15 प्रतिशत
	(b) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अंजित करने वालों ठीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
	(c) धोन वन प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
13.4	भारत एवं अन्य साधों के मध्य युथ अथवा साईन्स एवं कलारल एक्सारेज प्रोग्राम के उद्देश विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला धोन में विद्यार्थी एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.5	(a) उत्तीर्णानु शास्त्रीय / म.प्र. से यात्रा प्राप्त छेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-	
	(b) उत्तीर्णानु / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली ठीम के सदस्य को	10 प्रतिशत
	(c) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों उत्तीर्णानु की	05 प्रतिशत



- 13.6 अनु कर्मों के विस्तारितों तथा उनके आधिकारों को
13.7 विशेष प्रोत्साहन:-

01 प्रतिशत

14
11

महाविद्यालय एवं महाविद्यालय के लिए मैट्रिक्युलेशन के लिए एनसीआरी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एनसीआरी के साफ्टीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्रा तथा ओलिपियाड/एशियाड/सोर्टेस इत्यादी और इंडिया हारा साफ्टीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वर्षेर युणानुकम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में रीधे जाना चाहिए जिनकी उन्हें पानीता है कि :

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को सांचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीरामगढ़ शारन द्वारा अनियुक्त किया गया हो, एवं
- (2) वह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने नियोजित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यासक्रम महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूराश वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध पुनः पाप्त करना आवश्यक होगा।

- 13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु रखूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर वर्ष में विद्यु प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विभिन्न तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य जियो जायेंगे। स्नातक विद्यु, वृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. रसिकाय/विषय/मुप परिवर्तन :-

एनसीआरी/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के रसिकाय/विषय/मुप परिवर्तन कर प्रवेश दाने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राचारांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका युणानुकम नियोजित किया जायेगा। जियोर घटे हुये प्राचारांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दोरान संकाय/विषय/मुप परिवर्तन के अनुमति महाविद्यालय द्वारा 30 रिटार्नर तक या विलाप से मुख्य परीक्षा पारणम् के पास करिकल 22 में उत्तीर्ण प्रवेश को अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायगा। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राचारांक रांचित विषय/रसिकाय को मूल युणानुकम वर्षों में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उसारे अधिक हो।

15. शोध छात्र :-

शोध विषय महाविद्यालयों में प्रोफेशनल के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रतिशत दिया जायगा। इन विषय/प्राचारांक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशरण पर प्राचारांक रेत सम्मानित को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र नियोजित आयोद्धन पत्र में आवकन कर्त्तव्य प्रवेश के बाद नियोजित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायगा। शोध छात्र के लिये संविधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएव-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय द्वारा प्राचारांक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित गियमों के अधिकतम 3 वर्ष की अवधि विषय प्राचारांक रेत अव्ययन अवकाश लकर काई शिल्पक यदि शोध छात्र के लिये दो वर्ष अधिकारी तारी मिला जाएगा।



विद्या विद्यालय में प्राचीन ग्रन्थालय की वेतन आहुरण अधिकारी द्वारा शाह शिक्षक का नियन्त्रण किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की टिकट एवं उन्हें एसो रोल्स में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध कार्य वह जेपीएत तिथि गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबोध तुम्हारी विद्यालय के प्राचार्य जेपीएत करेगा।

16. पिंशेष :

- 16.1 दोनों पार्कल एवं यात्रा आनंदार्थी जानवृक्षकर छिपाये गये प्रतिकूल दार्थों प्रशासकाय अथवा भागीलयीन असाक्षात्कालीन संघर्षों आदि किसी आधिकारिक काम प्रवास मिल गया है, तब एस पिंशेष करने को पूर्ण दायेल प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश वेकर मिरी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूक्ना के बिना लगातार एक महा या अधिक समय तक अनुपरिणाम रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कड़िका 9.2 एवं 9.3 गे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में विद्युत विद्यार्थी वा प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कारित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उराका प्रवेश निरस्त होने अथवा उराका निष्कारण किये जाने की विधियाँ में विद्यार्थी को संरक्षित विधि के अन्तरिक्षत अस्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 काश के यांत्रिक रिद्दितों के रपाईकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन का अवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अगिवार्य रूप से रपट राप व अगिकार देते हुए रपाईकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेग। प्रवेश राकी निर्दिष्ट वा प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 यह मार्गदर्शक रिद्दितों में उल्लेखित प्राचार्धानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक रिद्दितों में समय-समय पर परिवर्तन/राशोक्तन, नियसन/सलक्तन का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मत्रालय को है।

